केंद्रीय सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त

स्थान : होटल विवन्ता (एम्बेसडर), नई दिल्ली।

दिनांक और समय : 22 अक्टूबर 2010, सुबह 10:30 बजे

प्रतिभागियों की सूची : अनुलग्नक–I

श्री वी.एन. गौड़, सीईओ, एफएसएसएआई एवं केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) के अध्यक्ष ने सीएसी की द्वितीय बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यसूची को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से इसका ध्यान देश में खाद्य सुरक्षा विनियमन के लिए एफएसएसएआई के दृष्टिकोण का अनुसरण करने पर केंद्रित है। स्पष्ट किया गया कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के सभी अनुच्छेदों को अधिसूचित किया गया है, तथापि, सभी मौजूदा अधिनियम और आदेश सरकार द्वारा उनके निरसन तक लागू रहेंगे। एफएसएसएआई नियम कानून मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं और नियमों के मसौदे को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम, 2006 के अनुच्छेदों की अधिसूचना से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श से खाद्य विनियमन से संबंधित मौजूदा अधिनियमों और आदेशों के निरसन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अधिनियम के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए, राज्य तंत्र को इसके कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। राज्य स्तर प्राधिकरण के अलावा हर जिले में अभिहित अधिकारी और न्याय निर्णयन अधिकारियों को नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है। क्यूसीआई पहले ही 33 प्रयोगशालाओं के संबंध में अंतराल विश्लेषण कर चुका है। रिपोर्टों को राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है जिनसे प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए प्रस्ताव को एनएबीएल के पास भेजने की अपेक्षा की जा रही है। देश में प्रयोगशालाओं के उन्नयन की सुविधा के लिए प्रमाणीकरण के एफएसएसएआई मानक भी निर्धारित किए जा रहे हैं।

चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यसूची के विभिन्न मदों पर प्रस्तुतियों भी की गई थीं।

कार्यसूची मद 1: सीएसी की पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सीएसी ने 19 जनवरी 2010 को आयोजित अपनी पहली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची मद 2: खाद्य प्राधिकरण की प्रमुख पहलें।

श्री एस. बी. डोंगरे, निदेशक (एफ एवं वीपी) ने एफएसएसएआई द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों पर एक प्रस्तुति पेश की जो इस प्रकार है:

i. खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)।
ii. कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, पूरक आहार पर विनियम
iii. आयातित खाद्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई के प्राधिकृत अधिकारी।

iv. खाद्य सुरक्षा उन्मुखी अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना।

v. ट्रांस फैटी एसिड्स (टीएफए) और एनर्जी ड्रिंक पर विनियम।

vi. एफएसएसएआई के कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए उत्कृष्टता के केंद्र।

उन्होंने कहा कि एफएसएमएस का स्वयं अनुपालन पर ध्यान केंद्रित है क्योंकि नए कानून के तहत खाद्य व्यापार संचालक उपभोक्ता तक सुरक्षित भोजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा हासिल करने की सुविधा के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा, इस संबंध में ''भारत एचएसीसीपी'' विकसित किया जा रहा है। एफएसएसएआई ने खाद्य आयात प्रणाली का अध्ययन करने और आईटी सक्षम आयातित खाद्य सुरक्षा प्रणाली की सुविधा के लिए आधारभूत डेटा एकत्र करने के लिए पहले से ही कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में बंदरगाहों पर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत एफएसएसएआई को अनुसंधान एवं विकास आरंभ करने के लिए मुद्दों की पहचान करने में राज्यों से राय की जरूरत है।

खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मांस, डेयरी, फल एवं सब्जियां आदि में व्यापक सुविधाओं से युक्त राष्ट्रीय केन्द्रों की पहचान की जाएगी और बाद में खाद्य सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट अध्ययन करने के लिए इन्हें एफएसएसएआई द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभिहित किया जाएगा। ''उत्कृष्टता केंद्र'' क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा एफएसएसएआई द्वारा अनिवार्य अध्ययनों की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होंगे। खाद्य पदार्थों और पोषण के क्षेत्र में ट्रांस फैटी एसिड एक ज्वलंत समस्या है। ये फैटी एसिड खाद्य उत्पादों को स्थिरता देते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्याधिक हानिकारक हैं। इसी तरह, ऊर्जा पेय के रूप में विपणन किए जाने वाले कैफीनयुक्त पेयों में निर्धारित अत्यधिक सीमा से अधिक कैफीन होता है। शीतल पेय, नींबू पेय आदि में कैफीन की अनुमत सीमा 140 पीपीएम है। मुद्दों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एफेसएसएआई ने इन उत्पादों के लिए विनियमों की तैयारी शुरू कर दी है।

कार्यसूची मद 3: आरएफडी 12010–111 और मदों में परस्पर वरीयता

डॉ जे.पी. डोंगरे, विपणन अधिकारी, एफएसएसएआई ने परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के उद्देश्यों (आरएफडी), शामिल महत्वपूर्ण गतिविधियों और मदों/गतिविधियों की परस्पर प्राथमिकताओं को आवृत करते हुए इस पर प्रस्तुति की थी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का प्रदर्शन राज्य सरकार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आरएफडी का प्रारूप पीएमओ और कैबिनेट द्वारा तैयार किया गया है। सफलता के सूचकांक पिछले साल के प्रदर्शन पर आधारित हैं। यह एक संगठन की सफलता की दर की गणना में मदद करता है।

कार्यसूची मद 2 और 3 पर चर्चा:

विचार विमर्श के दौरान उभरे विचार इस प्रकार हैं:

• खाद्य सुरक्षा आयुक्तों ने पूछा कि क्या आरएफडी राज्यों पर भी लागू होगा। सीईओ, एफएसएसएआई द्वारा स्पष्ट किया गया था कि राज्यों के लिए ऐसा कोई आरएफडी नहीं होगा, तथापि, एफएसएसएआई का प्रदर्शन काफी हद तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्यों के प्रदर्शन पर निर्भर होगा। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि एफएसएसएआई और राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे,

कार्यान्वयन के विभिन्न मानदंड समझौता ज्ञापन का हिस्सा होंगे और राज्यों के प्रदर्शन का तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

उठाये गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे थे:

- गतिविधियों की प्राथमिकता आरएफडी में प्रदर्शित होनी चाहिए।
- अनुसंधान एवं विकास योजना को जोखिम आकलन योजना के रूप में अभिहित किया जाना चाहिए, जो खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। हालांकि, सीईओ द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अनुसंधान एवं विकास योजना नाम जानबूझकर इसे व्यापक आधार योजना बनाने के लिए रखा गया है ताकि जोखिम मूल्यांकन प्रस्तावों के साथ ही खाद्य सुरक्षा से संबंधित अन्य विषयों को भी इसमें शामिल किया जा सके। ऊर्जा पेय पर नियमन की प्राथमिकता के बारे में, सीईओ ने कहा कि यह मामला अदालतों में चला गया है जहां भोजन के इस मद को विनियमित करने के मानक निर्धारित करने की जरूरत को रेखांकित किया गया था।
- एक राय थी कि संचार रणनीति को आरएफडी के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीईओ, आरएफएसएसएआई ने स्पष्टीकरण में सूचित किया कि आरएफडी योजना दस्तावेज नहीं है, आरएफडी में केवल उन लक्ष्यों को परिलक्षित किया जाता है जिन्हें 31 मार्च, 2010 तक प्राप्त कर लेना संभव प्रतीत होता है, तथापि, संचार का महत्व अच्छी तरह से स्थापित है और मसौदा संचार रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसे शीघ्र ही परिचालित किया जाएगा।
- यह भी पूछा गया था कि क्या विभिन्न राज्यों का खाद्य मानकों में भिन्नता होगी और राज्यों को खाद्य मानक निर्धारित करने का अधिकार होगा। सीईओ, आरएफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास मानक निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा, आरएफएसएसएआई द्वारा निर्धारित समान खाद्य मानक निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें पूरे भारत में लागू किया जाएगा। मानकों के विकास के समय, खाद्य मानकों में स्थानीय रूपांतरों का, अगर कोई हों, तो ध्यान रखा जाएगा।
- यह सुझाव भी दिया गया था कि उत्कृष्टताकेंद्रों द्वारा तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं के अलावा व्यवहार के सभी पहलुओं को अलग से देखा जाना चाहिए।
- सुझाव दिया गया था कि अब राज्य सरकारों द्वारा एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए अलग से बजट आवंटित करने का समय आ गया है।
- पंचायतों द्वारा कानून को कार्यान्वित कर पाने के बारे में आशंका व्यक्त की गई थी। इस संबंध में सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों और स्थानीय निकायों के साधनों को ध्यान में रख कर दी जाएगी। पंचायतों को केवल छोटे खाद्य व्यापार संचालकों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, धीरे–धीरे स्थानीय निकायों को खाद्य सुरक्षा कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त और लैस करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

कार्यसूची मद 4: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एफएसएसएसीआई के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन संरचना

श्री एस. बी.डोंगरे, निदेशक (एफ एंड वीपी), एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तावित प्रवर्तन संरचना पर एक प्रस्तुति की गई थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रस्तावित संरचना पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई का संकेत दिया। यह उल्लेख किया गया कि एफएसएसएआई ने पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा तंत्र की स्थापना के लिए एक मॉडल संरचना करने का संकेत दे दिया था। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा का एक अलग विभाग बनाए जाने की सलाह देना उचित होगा जिससे न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि खाद्य निर्माताओं, संचालकों, खाद्य व्यापार संचालकों आदि के लिए भी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होगा

अधिकारियों की संख्या और स्तरों का निर्णय आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लिया जा सकता है। राज्य /केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबसे उचित है और उपयुक्त प्रवर्तन संरचना का निर्णय इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा लिया जा सकता है। उन्होंने एफएसएस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले राज्यों द्वारा की व्यवस्था/ योजना किए जाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अब तक लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यापार संचालकों की संख्या के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है।

कार्यसूची मद 5: सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपकरण: आईटी सक्षम लाइसेंसिंग प्रणाली

श्री अशोक झा, सत्यगुरू प्रबंधन सलाहकार ने ऊपर उल्लिखित विषयों के साथ आईटी समर्थित लाइसेंसिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए मार्ग का नक्शा तैयार करने और और योजना के प्रमुख घटकों को आवृत कर एक प्रस्तुति पेश की ।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एफएसएसएआई का लक्ष्य भारत के भीतर आईटी खाद्य व्यापार के संचालकों के लिए एक मजबूत आईटी सक्षम पंजीकरण/लाइसेंस प्रणाली की स्थापना करना है और योजना के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- आईटी सक्षम और प्रभावी पंजीकरण और लाइसेंस मंच के लिए मॉड्यूल का विकास किया जाना चाहिए।

- आरंभ में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया की संकर (हाईब्रिड) प्रणाली (2011 –प्रायोगिक और पूरे भारत के लिए)

  - ✓ एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण इकाई के माध्यम से
  - ✓ फार्म भरने की प्रक्रिया और केंद्रीय सर्वर में डेटा प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने के लिए डीओ/एफएसओ/प्राधिकृत अधिकारी
  - ✓ आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि करने के बाद यूआईडी का सृजन करने के लिए
  - ✓ लाइसेंसिंग/पंजीकरण सं. का निरीक्षण और उत्पादन।

- हाईब्रिड प्रणाली से पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली में धीमी गति से संक्रमण

• प्रायोगिक और अंतिम प्रणाली के लिए एक विश्वसनीय एजेंसी की नियुक्ति –निरंतरता प्राधिकरण के लिए विचार का एक बड़ा विषय है।

कार्यसूची मद 4 और 5 पर चर्चा

चर्चा के दौरान निम्नलिखित विचार उभरेः

- सीईओ द्वारा बताया गया था कि चूंकि सभी जिले अब एनआईसी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए आईटी सक्षम लाइसेंस प्रणाली के लिए जिला स्तर तक समान सॉफ्टवेयर होगा। पंचायत स्तर पर, पंजीकरण/ लाइसेंस प्रक्रिया हाथ से संचालित (मैन्यूअल) होगी जिसे ग्राम स्तर पर आईटी बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ बाद में नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।

- पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि ने देश में दूध उत्पादन पर डेटा एकत्र करने के प्रावधानों का उसी सॉफ्टवेयर में समावेश करने का सुझाव दिया। इस मुद्दे पर सीईओ एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि उत्पादन रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान/पंजीकरण आवेदन दाखिल करने का हिस्सा है लेकिन वह पशुपालन विभाग की आवश्यकता के अनुसार नहीं भी हो सकता है क्योंकि एफएसएसएआई की प्राथमिकताएं पशुपालन विभाग से अलग हो सकती हैं। इस मुद्दे पर सहमति के साथ विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है।

- उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि ने राय जाहिर की कि एफएसएसएआई को पता लगाने की क्षमता, एमआरएल के निर्धारण और कोडेक्स के साथ संरेखण के लिए पहल करनी चाहिए। सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि एफएसएसएआई को भारत के लिए कोडेक्स संपर्क बिंदु बनाया गया है और एमआरएल का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है तथा एफएसएसएआई इस मुद्दे पर काम कर रहा है।

- यह भी राय थी कि आईटी सक्षम प्रणाली को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए, ग्राम स्तर पर छोटे व्यवसाय संचालकों तक पहुँचने के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों को शामिल किया जा सकता है।

- उपभोक्ता संगठनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि राज्य खाद्य सुरक्षा को स्वास्थ्य के साथ मिला रहे हैं जो अंततः खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को कमजोर करता एफएसएसएआई राज्यों में अलग खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए अनुरोध कर सकता है और शुरुआत में 2–3 साल के लिए वित्तीय सहायता देने पर भी विचार कर सकता है

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्हें इस प्रकार संक्षिप्त किया गया हैः

- **अडमान एवं निकोबार द्वीप** – के प्रतिनिधि ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेटों को अभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है, हालांकि, उनपर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने पहले की प्रणाली को बदलने के लिए कहा जिसमें चिकित्सा अधिकारियो को अभिहित अधिकारी बनाया जाता था। सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि एफएसएस अधिनियम की भावना उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट के रैंक के एक

पूरे समय के अधिकारी को अभिहित अधिकारी बनाने की है, लेकिन उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट को अभिहित अधिकारी बनाना आवश्यक नहीं है। अभिहित अधिकारी को नियुक्त करने में पर्याप्त लचीलापन दिया गया है।

- **मध्य प्रदेशः** राज्य में 199 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और सभी प्रशिक्षित हैं। वित्त विभाग से खाद्य सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले को 50.00 लाख की मंजूरी के लिए संपर्क किया गया था। प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

- **जम्मू एवं कश्मीरः** न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।. इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एनआरएचएम कोष से 2.0 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

- **हिमाचल प्रदेशः** एफएसएस अधिनियम की अधिसूचना का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है।

- **दिल्लीः** वर्तमान में लाइसेंस देने का काम स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है, उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट अभिहित अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं हालांकि, अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए एनएबीएल से आवेदन किया गया है।

- **हरियाणाः** पदों के सृजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं के अंतराल विश्लेषण का काम पूरा हो गया है, प्रयोगशालाएं उन्नयन की प्रक्रिया में है।

- **गुजरातः** एफएसएस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए तैयार है, 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। छह प्रयोगशालाएं हैं, दो एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है और अन्य चार एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

- **तमिलनाडुः** दो सौ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, खाद्य सुरक्षा के लिए अलग कैडर के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। एनआरएचएम से वित्तपोषण के लिए अनुरोध किया गया था। प्रयोगशालाएं भी मान्यता के लिए तैयार हैं।

- **छत्तीसगढ़ः**राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 38 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल दो को नियुक्त किया गया है। एक तदर्थ उपाय के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की मदद से 35 डॉक्टरों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। क्यूसीआई द्वारा अंतराल विश्लेषण किया गया है रिपोर्ट मिलने के बाद, प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। प्रतिनिधि ने कहा कि एफएसएसएआई शीघ्र कार्रवाई की जरूरत पर जोर देते हुए राज्य सरकार को एक सलाह जारी कर सकता है।

- **गोवाः** पीएफए के अनुसार प्रणाली की व्यवस्था है जो अनुज्ञापन नियमके अधिसूचित करने के बाद एफएसएसए प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगी। एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला उपलब्ध है जिसे सभी मापदंडों के लिए जो उपलब्ध नहीं हैं, परीक्षण की सुविधा की

व्यवस्था के द्वारा मजबूत बनाना होगा, उदाहरण के लिए कीटनाशकों और अन्य अवशेषों के परीक्षण । खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण अगस्त के महीने में पूरा हो चुका है। केयूसीआई ने अंतराल विश्लेषण कर लिया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

- **मणिपुरः** जिला स्तर पर, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। दो खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। केयूसीआई द्वारा अंतराल विश्लेषण किया गया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। न्यायनिर्णयन अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कोलकाता में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। हालांकि, राज्य में न्यायनिर्णयन अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के आगे आयोजन के लिए, एफएसएसएआई को विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने चाहिए।

- **असमः** सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण सितंबर में पूरा हो चुका है। कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। एफएसएस अधिनियम के आरंभ में सबसे बड़ी बाधा धन की है। खाद्य प्रयोगशाला के उन्नयन के संबंध में, वहां केवल एक प्रयोगशाला है और क्यूसीआई ने अंतराल विश्लेषण अध्ययन किया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

- **त्रिपुराः** खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छुट्टी पर थे और निदेशक, स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय नहीं था। स्वास्थ्य अधिकारी अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा पीएफए और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों में से लोगों की व्यवस्था कर रहा है। उनके पास एक छोटी सी प्रयोगशाला है जो 35 साल से अधिक पुरानी है। हाल ही में लोक विश्लेषक शामिल हुए हैं।

- **नागालैंडः** अवैध चैनलों के माध्यम से विदेशी खाद्य पदार्थों की भरमार चिंता का एक प्रमुख कारण है क्योंकि वे घटिया हैं और लेबलिंग के किसी मानदंड का पालन नहीं किया गया है। सख्त सीमा न होने की वजह से राज्य इसे रोकने में असमर्थ है। कर्मचारियों की कमी है, उन्होंने अभिहित अधिकारियों की सहायता के लिए कुछ अनुबंधित (ठेके के) कर्मचारियों की व्यवस्था की है। अधिनियम के प्रवर्तन में मुख्य बाधा प्रवर्तन कर्मचारियों में खाद्य सुरक्षा के बुनियादी ज्ञान की कमी है, क्योंकि वे औषध क्षेत्र के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नागालैंड में केवल एक प्रयोगशाला है, वह भी अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है, प्रयोगशाला के उन्नयन की जरूरत है।

- **केरलः** पर्याप्त संख्या में खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध हैं। अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया। प्रयोगशाला के बारे में, प्रयोगशाला की मान्यता के लिए वित्त पोषण की जरूरत है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी तकनीकी पहलू का न्यूनतम ज्ञान था। राज्य के प्रतिनिधि ने कहा कि नए लाइसेंस के प्रशासन में परिवर्तन के लिए एक उचित प्रवर्तन संरचना की व्यवस्था के लिए एफएसएसएआई से समर्थन की आवश्यकता है।

- **उड़ीसाः** प्रवर्तन कर्मियों के पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। राज्य के प्रतिनिधि ने दिल्ली में, या उसके आस–पास एक पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण महाविद्यालय अकादमी की स्थापना का सुझाव दिया जहां प्रशिक्षण में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सभी राज्यों के प्रवर्तन कर्मियों को नियमित अंतराल पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रयोगशालाओं के लिए लोक विश्लेषक नियुक्त किए जाने की जरूरत है। निजी कंपनियों को प्रयोगशालाओं की सहायता में शामिल किये जाने का भी सुझाव दिया गया था।

- **झारखंडः** झारखंड में अभी तक खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है।

- **आंध्र प्रदेशः** प्रवर्तन की संरचना उसी प्रकार की है जैसा एफएसएसएआई ने सुझाव दिया है। सहायक खाद्य नियंत्रकों और जिला खाद्य निरीक्षकों को क्रमशः न्यायनिर्णयन अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में अभिहित किया जा रहा है। नगर पालिकाओं में एक सौ तैंतीस अंशकालिक स्वच्छता निरीक्षक हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है और नगर पालिकाओं से अनुरोध किया गया है। प्रमुख सचिव स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कुछ नगर पालिकाएं प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए सहमत हुई हैं। संयुक्त कलेक्टरों को न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया जाने वाला है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए क्यूसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है।

- **बिहारः** बिहार में अभी तक खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य औषध नियंत्रक खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। न्यायनिर्णयन अधिकारी से प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। सूक्ष्मजीव विज्ञानी परीक्षण के लिए एक सार्वजनिक विश्लेषक की आवश्यकता है। हालांकि सीईओ, एफएसएसएआई ने कहा है कि एक सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक को लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो सूक्ष्मजीव विज्ञानी परीक्षण करेगा और वही लोक विश्लेषक के रूप में प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी करेगा।

- **चंडीगढ़ः** प्रवर्तन संरचना स्थापित कर ली गई है। अभिहित अधिकारियों को नियुक्त और प्रशिक्षित किया गया है। उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं।

सत्र–II

कार्यसूची मद 6: प्रशिक्षण नीति, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

डॉ जे. पी. डोंगरे, विपणन अधिकारी, एफएसएसएआई ने मसौदा प्रशिक्षण नीति, अभिमुखी कार्यक्रम, आयोजित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), टीओटी के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में राज्यों द्वारा द्वितीय स्तर के प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति, नियामक कर्मचारियों, भोजन संचालकों, गृहिणियों, स्कूली बच्चों आदि के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने आदि को आवृत कर एक प्रस्तुति पेश की।

नियमों में संकेतित अनिवार्य प्रशिक्षण की आवधिकता और तय की जाने वाली अवधि के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी और अभिहित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का संकेत दिया गया। एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रभावी प्रवर्तन के लिए के लिए सक्षम पेशेवर नियामक कर्मी प्राप्त करने के लिए अभिमुखी कार्यक्रम, प्रेरण प्रशिक्षण, केंद्र और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में एक गहन और उचित प्रशिक्षण की डिजाइन एवं विकास को एफएसएसएआई द्वारा एक प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है।

एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 16 (3) (एच) के तहत प्राधिकरण से केंद्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा नियामकों, खाद्य व्यापार ऑपरेटरों और भोजन संचालकों और अन्य हितधारकों के लिए खाद्य सुरक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम और मानक उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है। एफएसएसएआई के नियामक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अलावा, राज्य खाद्य सुरक्षा नियामकों (खा.सु.आ, अभिहित अधिकारी, खा. सु.अ, नि.अ.) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष विषयों पर विशेषज्ञों को बाहर से लाया जा सकता है या एफएसएसएआई द्वारा उनलब्ध कराए जा सकते हैं।

कार्यसूची मद 7– देश में खाद्य प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण

डॉ शेख नदीम अहमद, सहायक निदेशक, एफएसएसएआई ने, खाद्य प्रयोगशालाओं के अंतराल विश्लेषण, क्यूसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के एक सारांश, खाद्य प्रयोगशालाओं के अंतरिम योग्यता के मानकों को पूरा करने के लिए राज्य की खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के ढांचे को आवृत कर एक प्रस्तुति पेश की।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 16 (2) (ई) और 43 के तहत, एफएसएसएआई द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए एनएबीएल या किसी अन्य मान्यता एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों को सूचित किया जाना अनिवार्य है और प्राधिकरण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने और प्रयोगशालाओं की मान्यता को अधिसूचित करने के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश स्थापित कर सकता है।

एफएसएसएआई ने केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन खाद्य प्रयोगशालाओं (50 प्रयोगशालाओं) का एक अंतराल विश्लेषण अध्ययन करवाया है। अभी तक 33 प्रयोगशालाओं (50 में से) के लिए अंतराल विश्लेषण पूरा कर लिया गया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,

झारखंड और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफडीए लैब) का अंतराल अध्ययन संबंधित राज्य सरकारों/प्रयोगशालाओं को भेजी गई प्रश्नावली का जवाब न मिलने के कारण लंबित है।

अंतराल अध्ययन ने संकेतित किया है कि केंद्र और राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में तत्काल बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन, स्टाफ और प्रशिक्षण आदानों को मजबूत बनाने और अधिक विश्वसनीय प्रयोगशाला प्रबंधन और संचालन प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है।

आरंभ करने के लिए (अंतराल अध्ययन द्वारा की चिह्नित सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा)खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं इन प्रयोगशालाओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य परीक्षण के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर तक आने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा। तब तक वे वर्तमान कार्य करना जारी रखेंगी ताकि परीक्षण सेवाओं में कोई व्यवधान न आए। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा।

कार्यसूची मद 6 और 7 पर चर्चा

विषय पर निम्नलिखित विचार–विमर्श किया गया था:

• प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए स्व–शिक्षण के प्रशिक्षण पोर्टलों को विकसित करने का सुझाव दिया गया था।

• फिक्की के प्रतिनिधि ने ध्यान दिलाया कि वित्त मंत्रालय ने पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है।

• कई खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा यह बात उठाई गई कि एफएसओ की नियुक्ति के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण एक पूर्व शर्त है, जबकि ऐसा कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है और देश में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती में एक प्रमुख बाधा है। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति कर सकते हैं जिन्हें बाद में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

• न्यायनिर्णयन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की अवधि को कम करके दो सप्ताह तक करने का भी सुझाव दिया गया था।

• यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सभी मानकों के लिए मान्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए। सीईओ, एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में हमारे पास अधिकांश पीएफए प्रयोगशालाओं में केवल बुनियादी रासायनिक परीक्षण की सुविधा है।

• हम खाद्य परीक्षण में निजी प्रयोगशालाओं को उप–अनुबंधित करने और शामिल करने की संभावना तलाश रहे हैं ।

कार्यसूची मद 8– जागरूकता सृजन कार्यक्रम और संचार रणनीति

श्रीमती सुमिता मुखर्जी, निदेशक, एफएसएसएआई ने एफएसएसएआई की संचार रणनीति को प्रस्तुत किया।

एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम हैं:

• कल्याणी पहल के तहत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण।

• स्कूल कैंटीनों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना और उनका प्रचार–प्रसार।

• केवीएस, नवोदय विद्यालय और डीपीएस सोसायटी के साथ सुरक्षित खाद्य कार्यक्रम आरंभ करने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर।

•डब्ल्यूएचओ, एनआईएन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एनसीईआरटी जैसे संबंधित संगठनों और लेडी इरविन कॉलेज, एप्लाइड साइंस के भास्कराचार्य कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों से संचार के उद्देश्य के लिए "खाद्य सुरक्षा" से संबंधित सामग्री एकत्रित करना।

• खाद्य सुरक्षा पर कार्यक्रमों का प्रसारण।

• प्रसार भारती के एफएम चैनलों पर खाद्य सुरक्षा पर रेडियो जिंगल का प्रसारण।

• राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा के मुद्दों में आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करने की संभावना का पता लगाने का सुझाव दिया गया था।

कार्यसूची मद 8 पर चर्चा:

• सुझाव दिया गया था कि राज्य दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के संदेश का प्रसार करने में आशा कार्यकर्ताओं को शामिल कर सकते हैं ।

• उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधि ने कहा कि संचार रणनीति तैयार करने में उपभोक्ता समूहों को शामिल किया जाना चाहिए।

• प्रयोगशाला और उपभोक्ता समूहों के सदस्यों ने संचार रणनीति पर एफएसएसएआई की पहल के लिए उसे बधाई दी और सरल प्रभावी नारे तैयार करने और स्थानीय संचार के माध्यम से उसे स्थानीय भाषा में प्रसारित करने का सुझाव भी दिया।

• सदस्यों की राय थी कि एफएसएसएआई को अवैज्ञानिक और निराधार खबरों का मुकाबला करने के लिए भी एक संचार रणनीति तैयार करनी चाहिए जो खाद्य सुरक्षा मदों के बारे में ऐसा आतंक पैदा करती है जैसे ऑक्सीटोसिन क्यूकरबिट्स आदि में पैदा करता है।

• फिक्की के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि एफएसएसएआई को उद्योग के लिए एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत नए नियमों और विनियमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम विकसित करना चाहिए जो पीएफए से एफएसएस में परिवर्तन को सुविधान्वित करे।

• उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधि द्वारा यह भी कहा गया था कि जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिड–डे–मील (एमडीएम) योजना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

• इस बात पर भी चर्चा की गई कि एफएसएसएआई गांव स्तर तक नहीं पहुँच सकता है, यह पोस्टर, बैनर जैसी सामग्री बना सकता है जिन्हें स्थानीय निकायों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों को शामिल कर देश के हर नुक्कड़ और कोने में वितरित किया जा सकता है।

• आईआईएम बेंगलूर से प्रोफेसर गोपाल नायक ने सुझाव दिया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए करने और न करने वाली बातों पर संदेश का प्रसार करने के लिए लघु फिल्मों और एनिमेशन को विकसित किया जा सकता है।

कार्यसूची मद 9– राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों से लंबित सूचना

डॉ धीर सिंह, एडीजी (पीएफए) ने राज्यों को निम्न विषयों पर जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में याद दिलायाः

i. राज्यों में पीएफए विज्ञापन और नियमों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट। ii. पीएफए की धारा 15 के तहत भोजन की विषाक्तता की अधिसूचना। iii. संसद के लंबित आश्वासनों और प्रश्नों से संबंधित सूचना

सूचित किया गया था कि कई राज्यों से वर्ष 2008–09 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और राज्यों से अभियोजन पक्ष के डेटा, पकाने में कार्बाइड के उपयोग के बारे में जानकारी न मिलने के कारण लंबित कई संसद आश्वासनों के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्यों ने जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

केंद्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशें: –

दूसरे सीएसी की सिफारिशों को निम्नलिखित रूप में संक्षेप किया गया हैः

• एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के विभिन्न मानदंडों पर एफएसएसएआई और राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया जा सकता है और राज्यों के प्रदर्शन का तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

• अनुसंधान और विकास में गतिविधियां एफएसएसएआई की प्राथमिकताओं के अनुसार की जा सकती हैं और/संचार रणनीति में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

• एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राज्य सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए अलग बजट आवंटन उपलब्ध कराया जा सकता है।

• प्रस्तावित आईटी सक्षम लाइसेंसिंग प्रणाली को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए, ग्राम स्तर पर छोटे व्यापार संचालकों तक पहुँचने के लिए, यदि संभव हो तो, मोबाइल अनुप्रयोगों को भी शामिल किया जा सकता है।

• राज्यों में एक अलग खाद्य सुरक्षा विभाग स्थापित किया जा सकता है और इसे विकसित करने के लिए एफएसएसएआई शुरू में 2–3 वर्षों के लिए इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है।

प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए स्व–शिक्षित करने वाले प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किए जा सकते हैं।

• खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय ने पहले ही 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकता है।

• नियमित अंतराल पर खाद्य सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में या उसके आसपास एक आवासीय प्रशिक्षण महाविद्यालय/अकादमी स्थापित किया जा सकता है, यह प्रशिक्षण में एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

• राज्यों को प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें बाद में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा, न्यायनिर्णयन अधिकारियों की प्रशिक्षण की अवधि को दो सप्ताह तक कम किया जा सकता है।

• राज्यों में इस योजना के द्वारा खाद्य सुरक्षा के संदेश को प्रसारित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा सकता है ।

• एफएसएसएआई को ऐसी अवैज्ञानिक और निराधार खबरों का मुकाबला करने के लिए भी एक संचार रणनीति तैयार कर सकती है जो खाद्य सुरक्षा मदों के बारे में ऐसा आतंक पैदा करती है जैसे ऑक्सीटोसिन क्यूकरबिट्स आदि में पैदा करता है।

• फिक्की से प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि एफएसएसएआई को उद्योग के लिए एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत नए नियमों और विनियमों पर एक जागरूकता कार्यक्रम विकसित करना चाहिए जो पीएफए से एफएसएस में परिवर्तन को सुविधान्वित करे।

• जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मिड–डे–मिल (एमडीएम) योजना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

• व्यापक पहुंच के लिए स्थानीय लोगों में सरल व प्रभावी नारो को संचारित किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय निकायों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों आदि के माध्यम से गांवों में पोस्टर, बैनर आदि वितरित किये जा सकते हैं।

• खाद्य सुरक्षा के लिए करने और न करने वाली बातों पर संदेश का प्रसार करने के लिए लघु फिल्मों और एनिमेशन को विकसित किया जा सकता है।

अपने समापन भाषण में सीईओ, एफएसएसएआई ने सभी प्रतिभागियों को चर्चा में उनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने के लिए, जो एफएसएसएआई के कार्यक्रमों और नीतियों को और परिष्कृत करने में मददगार होंगे, धन्यवाद दिया।

****